भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 296
(दिनांक 13.03.2020 को उत्तर देने के लिए)

दूरदर्शन की फीस संरचना का संशोधन

***296. श्री सी॰ लालरोसांगाः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कलाकारों/नैमित्तिक समनुदेशितियों/रिसोर्स व्यक्तियों को दूरदर्शन द्वारा भुगतान की जा रही फीस में विगत अनेक वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने कुछ वर्ष पहले प्रसार भारती को अपनी सिफारिशें और प्रस्ताव सौंप दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन सिफारिशों/प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या प्रसार भारती का दूरदर्शन में कलाकारों/नैमित्तिक समनुदेशितियों/रिसोर्स व्यक्तियों की फीस संरचना में संशोधन करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 13.03.2020 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 296 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): प्रसार भारती ने वर्ष 2012 और 2014 में दूरदर्शन द्वारा मंच कलाकारों/नैमित्तिक समनुदेशितियों/रिसोर्स व्यक्तियों को दी जाने वाली फीस को संशोधित किया।

(ख) और (ग): फीस में संशोधन, फीस संरचना को युक्तिसंगत बनाने हेतु गठित समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित था। मंच कलाकारों/नैमित्तिक समनुदेशितियों/रिसोर्स व्यक्तियों को सभी भुगतान संशोधित फीस संरचना के आधार पर किए जाते हैं।

(घ) और (ङ): इस समय प्रसार भारती में कलाकारों/नैमित्तिक समनुदेशितियों/रिसोर्स व्यक्तियों की फीस संरचना में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इनकी सेवाएं विशिष्ट कार्यों के लिए जरूरत के आधार ली जाती हैं।

****